2019/00496

सहायक कलक्टर दसवी जिला जयपुर

मूलचन्द बनाम भानु देवी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही 11/7/19	आज्ञा विस्तृत रूप से
	139	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी मूल वाद में फरीकान के बीच समझौता हो चुका है। वकील प्रार्थी को ले लिया उनवान पेश करते वाद विथड्रा की जिसमें पत्रावली दिनांक 15.11.19 को पेश हो।
	411	पत्रावली मूल वाद में थोड़ा प्रतवार्ड वाद प्रार्थना पत्र पेश होने पर नम्बर पर ली गयी। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की पहचान वकील प्रार्थी ने की है। मूल वाद में प्रार्थना पत्र वाद विड्रा समझौता होने से उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नस्तियों में रखा जाना खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.19 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर दसवी जिला जयपुर